एक नजर में

अवैध हथियार के साथ पकड़ाए 2 आरोपी

इंदौर. क्राइम ब्रांच की कार्यवाही में अवैध आर्म्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियो के कब्जे से 2 खटकेदार चाकू जब्त किए गए. क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा लगातार अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसी अनुक्रम मे क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर द्वारा सुचना प्राप्त हुई कि आरोपी सागर यादव (उम्र 24) निवासी चौधरी पार्क कालोनी मुसाखेड़ी और अभिषेक जैन (उम्र 20) निवासी यति कॉलोनी थाना उन्हेल जिला उज्जैन अवैध आर्म्स लाकर सप्लाई करने इंदौर शहर में घूम रहा है. जिसे अपराध शाखा एवं थाना-छोटी ग्वालटोली की संयुक्त कार्यवाही में पकड़ा गया. आरोपियों के कब्जे से कुल 2 खटकेदार चाकू बरामद किए गए. उन पर थाना छोटी ग्वालटोली पर अपराध धारा-25 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गयी है. उक्त दोनों आरोपियो के विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना-छोटी ग्वालटोली द्वारा की जा रही है.

कुख्यात बदमाश शहर में घूम रहा था बंदूक लेकर

इंदौर. कुख्यात बदमाश को बंदूक के साथ क्राइम ब्रांच और छोटी ग्वालटोली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया. आदतन आरोपी पूर्व में लूट व चोरी के मामलों में जेल जा चुका है. आरोपी शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था.क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कमला नेहरु पार्क के पास दरगाह के सामने थाना छोटीगवालटोली क्षेत्र में 12 बोर की बंदूक और कारतूस सहित किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नियत से खड़ा है. मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर क्राइम ब्रांच और छोटी ग्वाल टोली पुलिस ने मुताबिक योजना के घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा. उसके कब्जे से एक नाल 12 बोर बंदूक मय 3 जिंदा कारतूस मिले, जिसके संबंध में आरोपी से लायसेंस नहीं बता पाया. आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम कुलदीप विश्नोई निवासी हरदा बताया. आरोपी शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नियत से घूम रहा था. आरोपी पर पूर्व में लूट व चोरी जैसे जघन्य अपराध पंजीबध्द हैं. आरोपी का पिता राकेश उर्फ चोटी हरदा का कुख्यात बदमाश होकर हत्या एवं लूट जैसे करीबन 38 अपराध पंजीबध्द होकर वर्तमान में हत्या व लूट में हरदा जेल में बंद है. आरोपी के विरुद्ध थाना छोटीग्वालटोली पर अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी से अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ जारी है.

जुला खेले नौ आरोपी गिरफ्तार

इंदौर. जुआ खेलते 9 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है. आरोपी लसूड़िया क्षेत्र की हरेकृष्णा विहार कॉलोनी में किराए के कमरे में रहकर जुआ खेल रहे थे. आरोपियों के कब्जे से 6 चार पहिया वाहन,1,49,605 रु. नगद, ताश की गड्डी, 2 स्ट्राइकर व 950 प्लास्टिक चिप्स बरामद की गई. क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति लसूड़िया क्षेत्र की हरेकृष्णा विहार कॉलोनी बेस्ट प्राइज के पीछे किराये के मकान में बड़े पैमाने पर जुआ खेल रहे है. क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई और आरोपियों को पकड़ा. उन्होंने अपना नाम केतन निवासी इंदौर, रोहित निवासी इंदौर, भूपेंद्र निवासी इंदौर, इरफ़ान निवासी इंदौर, ललित निवासी इंदौर, नितिन निवासी इंदौर, गिरीश निवासी इंदौर, श्रीकांत निवासी इंदौर और महेंद्र निवासी इंदौर बताया. आरोपियों के कब्जे से 6 चार पहिया वाहन, 1,49,605 रु. नगद, ताश की गड्डी, 2 स्ट्राइकर व 950 प्लास्टिक चिप्स बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना लसुड़िया पुलिस के द्वारा की जा रही है.

युवक ने साड़ी पहनकर लगाई फांसी

इंदौर. शुक्रवार देर रात एक कॉलेज के छात्र ने महिलाओं की तरह साड़ी पहनी और फांसी लगा ली. उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे. शव के आसपास खून बिखरा पड़ा था. छात्र ने आत्महत्या की है या उसे मारकर लटकाया गया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक मामला खंडवा नाका इलाके का है. मूलत: रायसेन का रहने वाला पुनीत त्रिभुवन दुबे (21) पढ़ाई के लिए इंदौर आया था. पुनीत इकलौता बेटा था. वह रणजीत सिंह कॉलेज में बीएससी सेकंड ईयर का छात्र था. खंडवा नाका इलाके की एक मल्टी में किराए के रूम में रह रहा था. रिश्तेदारों ने उसके शव को लेकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे अफसरों ने बताया कि मामला संदिग्ध है. जिस कमरे में पुनीत फंदे पर लटका मिला, वहां खून भी फैला हुआ है. परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं. पुनीत के पिता त्रिभुवन ने बताया शुक्रवार रात उसे कॉल किया था तो उसने फोन नहीं उठाया. इसके बाद उन्होंने इंदौर में ही रहने वाले एक परिचित से बेटे के रूम पर जाकर बात कराने के लिए कहा था. पिता ने बताया कि पुनीत इकलौता बेटा था. कोचिंग और कॉलेज से आने के बाद पुनीत रात में एक बार फोन करता था. शुक्रवार को उसका कॉल नहीं आया। इसके कारण रात को हम लगातार कॉल कर रहे थे। फोन नहीं उठा रहा था। इस पर रिश्तेदारों को कॉल किया। वह रात को ही कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से झांककर देखा तो शव लटका हुआ था। बाद में रिश्तेदारों ने परिवार और पुलिस को सूचना दी।

बच्चे को अश्लील वीडियो दिखाकर गलत हरकत

इंदौर . बाणगंगा क्षेत्र में 7 साल के बच्चे के साथ गलत काम करने को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है . उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का करीब 10 दिन से उसे अपने घर खेलने के बहाने ले जाता और अश्लील वीडियो मोबाइल में दिखाकर गंदी हरकतें करता था . पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है . बाणगंगा पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाले एक 7 साल के बच्चे के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर केस दर्ज किया है . बच्चे की मां ने अपनी जानकारी में बताया कि 15 मई की दोपहर बेटे ने कहा कि उसे भैया खेलने के लिये बुला रहे हैं . इस पर बेटे को जल्दी आने के लिये कहकर भेज दिया। काफी देर तक जब वह नहीं आया तो उसे लेने पहुंची . यहां पड़ोसी युवक के घर का दरवाजा और खिड़की बंद थी। खिड़की से झांककर देखने की कोशिश की तो कुछ समझ नहीं आया . फिर दरवाजा बजाकर बेटे को आवाज दी . पड़ोसी युवक ने बेटे को तुरंत बाहर निकाला। बेटे को घर ले जाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि भैया उसे काफी दिनों से अश्लील वीडियो दिखाते हैं और उसके साथ गलत हरकतें करते हैं .

सीजन में पहली बार पारा 41 डिग्री पार

गर्मी से लोग हुए परेशान
एक- दो दिन ऐसे ही मौसम के आसार

इंदौर. सूरज ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए है. गर्मी से लोग हलाकान हो गए है. शनिवार को तापमान 41.3 (+1) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है. इस दौरान दिन में गर्म हवाओं और उमस ने लोगों को बेचैन कर दिया. अगले दो दिनों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं.पिछले तीन दिनों से उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है. दो दिन से दिन का तापमान 39 डिग्री से ज्यादा था. लेकिन शनिवार को मौसम साफ रहा और सूरज ने तीखे तेवर दिखाए. दोपहर में पूरा शहर तप गया. सड़क पर खड़े होना मुश्किल हो रहा था. गर्मी के कारण सड़के भी सूनी नजर आई है. अधिकांश लोग घरों में पंखों व कूलर में बैठे रहे. जो बाहर निकले उन्होंने छाते या गमछे का सहारा लिया. शनिवार को पारा 41.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था. हालांकि शाम को बादल छा गए जिससे लोगों को कुछ राहत मिली. लेकिन गर्मी से लोग परेशान होते रहे.

हीट वेवे की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक नार्थ-ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है. वहां से एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है. मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस ट्रफ लाइन के साथ एक्टिव है। एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर होगा. इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश-आंधी है. इंदौर में एक-दो दिन तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव रहेगा। इस दौरान दोपहर बाद बादलों के छाने के साथ कहीं-कहीं बूंदाबादी या हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने 25 जून तक प्रदेश के 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, वही 16 जिलों में तेज हवा आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है.

घर से बिना बताए हरियाणा से इंदौर आ गया था नाबालिग

क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई कर बरामद किया

रेवाड़ी पुलिस से संपर्क कर परिजनों का किया सुपुर्द

इंदौर. जिला रेवाड़ी हरियाणा राज्य से अपहृत नाबालिक को क्राईम ब्रांच इंदौर ने बरामद किया है. अति संवेदनशील मामला होने से दो राज्यों की पुलिस नाबालिक की तलाश में लगी थी.

क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बालक छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में रेल्वे स्टेशन के आस-पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है. मुखबिर की सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम व्दारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में पहुँची, जहाँ पर एक लड़का हाथ में एक बैग लिए खड़ा दिखा. पूछने पर उसने अपना नाम (परिवर्तित नाम) राहुल उम्र 16 वर्ष निवासी जिला रेवाड़ी (हरियाणा) का बताया. नाबालिग से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं बिना बताए अपने घर से भागकर आ गया हूं. अपहृत बालक के मोबाईल फोन से उसके पिता के मोबाईल नं. पर संपर्क किया गया तो उसके पिता ने बताया कि मेरा लड़का 14.05.2024 को स्कूल की छुट्टी 2.30 बजे हो गई थी जिसके बाद से घर पर नहीं आया और न ही परिवारजनों से कोई संपर्क किया गया है, अनहोनी की आशंका होने पर पिता के व्दारा संबंधित थाना रोहड़ाई पर धारा 365 की एफआईआर दर्ज करवाई गई है. इंदौर क्राईम ब्रांच ने थाना रोहड़ाई जिला रेवाड़ी हरियाणा से संपर्क किया तो बताया गया कि नाबालिक घर से बिना बताए कहीं चला गया है जिसको परिवारजनों व्दारा आस-पास व रिश्तेदारों के यहाँ पता किया जिसका कोई पता नहीं चला है. नाबालिग की उम्र 16 वर्ष होने से थाना रोहड़ाई जिला रेवाड़ी में अपराध धारा 365 भादवि. के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. अपहृत बालक को बरामद कर थाना रोहड़ाई का पुलिस बल एवं अपहृत बालक के परिवारजन थाना क्राईम ब्रांच इंदौर आए जिन्हें अपहृत नाबालिक को रोहड़ाई पुलिस एवं बालक के परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया.

कमिश्नर के फ़ैसले की हाईकोर्ट ने सही ठहराया

नशे के सौदागरों पर कठोर कार्रवाई

तीन आदतन अपराधियों को केंद्रीय जेल भोपाल भेजा

इंदौर. नशा बेचने वालों के विरुद्ध की गई कमिश्नर दीपक सिंह की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. कमिश्नर ने गत माह एन डी पी एस एक्ट के तहत उषा उर्फ काली, पांगू बाई उर्फ सरिता और अमीर ख़ान को 6-6 माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध कराया था. अधिनियम के तहत इस फ़ैसले की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कर दी गई है.

अपराधी पांगू बाई उर्फ सरिता पति स्व. विनय भूरिया निवासी भील कॉलोनी मूसाखेडी और उषा उर्फ काली पति रामअवतार वर्मा निवासी कुम्हारखाड़ी बाणगंगा और अमीर पिता समीर खान उर्फ चमलु खान निवासी ग्राम देवल्दी जिला प्रतापगढ़, राजस्थान को नशे का व्यापार करने के कारण कमिश्नर दीपक सिंह ने इंदौर संभाग के जिलों की राजस्व सीमा से 6-6 माह की अवधि के लिए निरुद्ध किया जाकर केंद्रीय जेल भोपाल में रखने के आदेश जारी किए गए थे. यह तीनों कुख्यात अपराधी होकर अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने में लिप्त है. कई वर्षों से लगातार अपराधों में लिप्त है. अवैध मादक पदार्थ तस्करी करते पकडे जाने के बाद भी पुन: लगातार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं. अवैध मादक पदार्थ का इनका व्यापार इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है. यह अपने एजेन्ट, बिचौलियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त करते व इंदौर शहर में अलग-अलग स्थानों पर अवैध मादक पदार्थ बेचते हैं. इनके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध है.

जमानत का लाभ लेकर फिर बेचने लगते थे-इनके द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी से समाज में विपरीत प्रभाव पड रहा था. पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में न्यायालय से जमानत का लाभ लेकर पुन: अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त शुरु कर देते हैं. न्यायालय के अभिरक्षा में रहने के उपरांत भी अप्रत्यक्ष रुप से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी अपने बिचौलियों के माध्यम से सुव्यवस्थित होकर संचालित करते रहे हैं तथा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में इनके क्रियाकलाप निरंतर जारी है. इनके उक्त

प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना प्राथमिकता : निगम आयुक्त

नई तकनीक देखने दिल्ली जाएंगे अधिकारी

रोड शो में दी कॉनक्लेव के संबंध में जानकारी

इंदौर. देश में स्वच्छता के लिए लगातार 7 बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले इंदौर शहर में प्लास्टिक वेस्ट का प्रबंधन नगर पालिक निगम की प्राथमिकता है. इसे बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास कियाजाएगा.

इसके लिए देश के पहले प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और सस्टेनेबिलिटी आधारित आयोजन में नगर निगम के अधिकारी भी भाग लेने दिल्ली जाएंगे.यह बात नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने जीसीपीआरएस के इंदौर रोड शो में कही. उन्होंने बताया कि प्लास्टिक रिसाईकलिंग के नए तरीके और तकनीक से हम इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट को पहले से बेहतर कर सकेगें.

इसके लिए आम जनता, व्यापारियों, उद्योगपतियों और प्रशासन सहित सभी एक दिशा में काम करते रहना होगा. देश में पहली बार प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और सस्टेनेबिलिटी पर आधारित अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन ग्लोबल कॉनक्लेव ऑन

प्लास्टिक्स रिसायक्लिंग एंड सस्टेनेब्लिटी (जीसीपीआरएस) को 4 से 7 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन को प्रमोट करने के लिए इंदौर में रोड शो किया गया.

आयोजन में मप्र प्लास्टिक रिप्रोसेस ग्रेन्युअल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरुवीर सिंह, सचिव रूचिल जैन, आईपीपीएफ के सचिव अंकित भरूका, वरिष्ठ उद्योगपति हितेश मेहता, आरके माहेश्वरी, ब्रजेश गांधी, संदीप ठाकुर, विशालसोनी सहित बडी संख्या में उद्योगपति मौजूद थे.

बेहतर तकनीकों का होगा प्रदर्शन-

इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष और मप्र शासन के शहरी विकास मंत्रालय कीराज्य स्तरीय सलाहकार समिति (पीडब्लूएम) के सदस्य सचिन बंसल ने बताया कि आल इंडिया प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन मुंबई के द्वारा नई दिल्ली प्रगति मैदान में होने वाले इस आयोजन में प्लास्टिक रिसाईकलिंग पर दुनिया की बेहतर तकनीकों का प्रदर्शन होगा . इसमें इंदौर के उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो होटल सयाजी में किया गया . आयोजन के मुख्य अतिथि निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सीजीपीआरएस के आयोजन में इंदौर से अधिकारियों को भेजने और स्वंय भी शामिल होने की बात कही है . मुंबई से आए जीसीपीआएस के सिद्धार्थ शाह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी . उन्होने बताया कि प्लास्टिक उद्योगों की संस्था एआईपीएमए ने भारतीय प्लास्टिक उद्योगमें सिद्ध रीसाइक्लिंग और स्थिरता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी - जीसीपीआरएस के आयोजन को कर रही है . वर्तमान में भारत के 3 .4 मिलियन टन (एमटी) प्लास्टिक कचरे में से केवल 30 प्रतिशत का ही रिसाईकलिंग किया जाता है।

हत्या के प्रयास में दो बदमाशों को 5 साल का सश्रम कारावास

पीड़ित के साथ की थी मारपीट

इंदौर. कुख्यात बदमाश अंशुल भालेराव एवं राहुल कैथवास को हत्या के प्रयास में 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

जानकारी के अनुसार 21.01.2023 को फरियादी दीपक गोस्वामी के व्दारा थाना तिलकनगर मे यह रिपोर्ट लिखाई गई थी कि पिपल्याहाना काकड स्थित शेरू की दुकान के पास उक्त आरोपीगण अशुंल भालेराव एवं राहुल कैथवास व अन्य दो विधि विरोधी किशोर के व्दारा पैसे की मांग को लेकर रात में अश्लील गालिया देते हुये डंडे चाकू व लात घुसों से मारपीट करते हुये गंभीर चोटे पहुंचाकर हत्या का प्रयास किया गया था. फरियादी कि उक्त रिपोर्ट पर थाना तिलक नगर मे आरोपीगण अशुल भालेराव एवं राहुल कैथवास तथा अन्य दो के विरूध्द प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया था. प्रकरण की जांच में उनि. सुरेन्द्र सिंह के व्दारा किया जाकर आरोपीगण के विरूध्द माननीय न्यायालय में 01.04.2023 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था. प्रकरण मे विचारण उपरांत 17 मई को न्यायालय उन्नीसवे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के व्दारा आरोपीगण अशुंल भालेराव एव राहुल कैथवास उर्फ छपरी के विरूध्द हत्या के प्रयास का अपराध सिद्ध पाकर हत्या के प्रयास के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एव 1000/रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है. प्रकरण के विवेचना उनि. सुरेन्द्र सिंह एवं प्रआर. कमल सिंह के व्दारा तथा न्यायालय में प्रआर कमल सोलकी के व थाना तिलकनगर परआर. विकास भदौरिया दवारा समंस वारण्ट तामील कराकर व आर. अशोक विशेष सहयोग व्दारा विचारण मे नियमित एवं निरतरता हेतु उत्कृष्ट सहयोग किया गया. प्रकरण का सुक्ष्म पर्यवेक्षण निरीक्षक मंजू यादव, सहायक पुलिस आयुक्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त व्दारा किया गया है.

लिस्टेड गुंडा है आरोपी- आरोपी अशुल भालेराव पुत्र मधुकर भालेराव सा. पिपल्याहाना काकड़ इंदौर व थाना का रहने वाला है , जो तिलकनगर का कुख्यात गुण्डा होकर थाने की गुण्डा लिस्ट मे दर्ज है. आरोपी के विरूध्द थाना तिलक नगर व थाना कनाडिया, खजराना व अन्य थानो मे मारपीट एव अवैध मादक प्रदार्थ की तस्करी एव हत्या के प्रयास के कई अपराध पंजीबध्द है. आरोपी के विरूध्द वर्तमान मे एनएसए के अतर्गत भी कार्यवाही की गई है. आरोपी अशुल भालेराव वर्तमान मे केन्दीय जेल इंदौर में निरूध्द है.

दूसरे आरोपी पर भी दर्ज हैं कई अपराध

आरोपी राहुल उर्फ छपरी पिता बाबुलाल निवासी 125 चांदमारी धार रोड इंदौर भी वर्तमान मे थाना पलासिया के विनोबा नगर क्षेत्र में निवासरत् है. उसके विरूध्द भी मारपीट, हत्या के प्रयास, अवैध मादक प्रदार्थ, पंजीबध्द है.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम SUMIT PATEL S/O ANIL PATEL था, जो बाद में परिवर्तित होकर SUMIT VERMA S/o ANIL PATEL हो गया है। अतः भविष्य मे मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

612/1, SHANTIPURA MAIN ROAD, LEKODA UJJAIN (M.P.)

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

WONDER HOME FINANCE
Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारों द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.एन. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार '' वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 '' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13 (4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवंइसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता/गारंटर का नाम एवं ऋण खाता संख्या	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP22-22005696, संजय कुमार (ऋणी व विधिक उत्तराधिकारी झरना चौटरी)	16-मई-24 ₹ 8,71,025.62 आठ लाख इकहत्तर हजार पच्चीस रूपये एवं बासठ पैसे मात्र 13-मई-24 तक	संपत्ति स्थितप्लॉट नं. 60, दक्षिण भाग 8 फी एवं प्लॉट नं0 61 उत्तरी भाग 2 फीट, वार्ड नं0 28, पीएच नं. 59/117, सर्वे नं. 65/1/2/1/1/1/2 ग्राम बागदून, तहसील धार, जिला धार मप्र 454774, क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग फीट

दिनांक: 18-05-2024 स्थान: इन्दौर, मप्र — प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: 6/3, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
फोन नं.: 0731-2541688

ई-नीलामी की सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिरा से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **26.06.2024** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नामएवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र की राशि एवं दिनांक	आरक्षित मूल्य (₹) धरोहर राशि (₹) बिड वृद्धि राशि (₹)
1. मेसर्स श्री शर्मा कम्युनिकेशन, प्रो.: श्रीमती राधा शर्मा पति स्व. श्री उमेश शर्मा, 2. श्रीमती राधा शर्मा पति स्व. श्री उमेश शर्मा, 3. स्व. श्री उमेश शर्मा पिता श्री गिरधरलाल शर्मा, स्व. श्री उमेश शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी 3(ए). श्रीमती राधा शर्मा पति स्व. श्री उमेश शर्मा, 3(बी). श्री अनवेश शर्मा पिता स्व. श्री उमेश शर्मा, 3(सी). सुश्री विदुशी शर्मा पिता स्व. श्री उमेश शर्मा शाखा: जानकी नगर, इन्दौर, मोबाईल: 83700 12029	1. प्लाट नं. 23/1 पर स्थित संपत्ति का उत्तरी भाग, गली नं. 5, पारसी मोहल्ला, वार्ड नं. 63, संयोगितागंज, इन्दौर (म.प्र.) पर स्थित संपत्ति, **क्षेत्रफल: 420 वर्गफीट एवं उस पर निर्माण, मालिक: श्रीमती राधा शर्मा पति स्व. श्री उमेश शर्मा, चर्तु:सीमा: उत्तर:** इसी प्लाट का शेष भाग, **दक्षिण:** श्री उमेश शर्मा का प्लाट, **पूर्व:** श्री मोदी का मकान, **पश्चिम:** सड़क उसके बाद शिव मंदिर	22,82,094 + ब्याज एवं अन्य खर्च	21,51,000 / 2,16,000 / 50,000
	2. प्लाट नं. 23/1 पर स्थित संपत्ति का दक्षिणी भाग, गली नं. 5, पारसी मोहल्ला, वार्ड नं. 63, संयोगितागंज, इन्दौर (म.प्र.), **क्षेत्रफल: 420 वर्गफीट एवं उस पर निर्माण, मालिक: स्व. श्री उमेश शर्मा पिता श्री गिरधरलाल शर्मा, चर्तु:सीमा: उत्तर:** श्रीमती राधा शर्मा का प्लाट, **दक्षिण:** श्रीमती मनोरमा शर्मा का प्लाट, **पूर्व:** श्री लक्ष्मीनाराण शर्मा का प्लाट, **पश्चिम:** सड़क उसके बाद शिव मंदिर		19,31,000 / 1,94,000 / 50,000

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 26.06.2024 , समय: प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 20.06.2024 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 25.06.2024, दोपहर 4 बजे तक, ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076, खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रतिभूति लेनदार की वेबसाईट अर्थात **www.centralbankofindia.co.in** देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता में, **एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp** पर उपलब्ध लिंक देखें। **हेल्पलाईन नबंर 033-22901004** या **क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419** से संपर्क कर सकते है। हालांकि संपत्ति क्रं. 1 एवं 2 एक दूसरे से जुड़ी हुई है एवं दोनो संपत्तियों को संयुक्त रुप से खरीदने के लिए आवेदन करने वाले सफल बोलीकर्ता या क्रेता को प्राथमिकता दी जावेगी।

सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

दिनांक: 19.05.2024, स्थान: इन्दौर — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया